


अंचल अधिकारी का कार्यालय, धनबाद।


संदिग्ध/अवैध जमाबंदी रद्द अभिलेख सं. १११/२०२०-२१

बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
23/5/19	<p>झारखंड सरकार के झापाक-2074/रा0 दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी निर्देशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0 म0 निति-119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निर्देश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जाँच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक (राजस्व कर्मचारियों) के द्वारा प्रतिवेदित किया गया विवरणी निम्नवत है-</p> <p style="text-align: center;">मौजा-कोरवा कुमुना मौजा न0- <u>12</u> खाता न0- <u>142</u> प्लॉट न0- <u>63</u> रकबा <u>28 बीघे</u> की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या <u>१०</u> के पृष्ठ संख्या <u>3741</u> पर जमाबंदी रैयत <u>श्रीमती जुबी गुप्ता</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का राजस्व उपनिरीक्षक(राजस्व कर्मचारी) के द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी किना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है जिसका उद्देश्य तिजि लाभ एवं राजस्व को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतः- उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन पर अंचल-निरिक्षक का मतव्य प्राप्त करे। अनिलेख दिनांक <u>१५/५/१९</u> को रखे।</p>	
	 अंचल अधिकारी, धनबाद।	


9/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक से मातव्य / प्रतिवेदन प्राप्त है।
अभिलेख दिनांक 23/4/19 को रखें।


अंचल अधिकारी
धनबाद।

23/4/19

अभिलेख उपस्थापित। अचोहस्ताक्षरी निर्वाचन कार्य में व्यस्त रहने के कारण अभिलेख की सुनवाई नहीं हो सका।
अभिलेख दिनांक 7/5/19 को रखें।


अंचल अधिकारी
धनबाद।

15/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अंचल निरीक्षक का प्रतिवेदन मतव्य सहित प्राप्त।
प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक
29/6/20 को रखें।



अंचल अधिकारी
धनबाद।

29/6/20

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख के अवलोकनोपरान्त पाया कि मौजा
कोजाकुसमा मौजा नं० 12 खाता 1A2 प्लॉट
नं० 63 रकबा 28.570 भूमि से संबंधित है। आगेदित
भूमि गत सर्वे खतियान के अनुसार गैरआवाद खाते की भूमि है। जमाबंदी रैगल
के खोज रीन के उपरान्त पता नहीं चल सका, जिसके कारण बिना नोटिस का
तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है (सुलभ प्रसंग हेतु नोटिस की प्रति संलग्न)। आगेदित
भूमि दाखिल खारिज केंस नं० (.....) के अनुसार कायम है।
तत्कालीन अंचल अधिकारी, धनबाद द्वारा उक्त पंजी को सदेहास्पद माना गया
है। जिसे संबंधित उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने उक्त जमाबंदी को रद्द
हेतु प्रस्ताव प्रतिवेदन अनुशंसा सहित समर्पित किया

अतः जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जमाबंदी रद्द हेतु अभिलेख भूमि
सुधार उपसमाहर्ता धनबाद को भेजें।

लेखापित एवं संशोधत।


अंचल अधिकारी,
धनबाद।


अंचल अधिकारी,
धनबाद।

अंचल अधिकारी का कार्यालय

वाद अभिलेख संख्या- /2016 (अन्तर्गत धारा-4(b), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम- डॉ. एम. ए. लुंडी कुपता
पति- श्री मनोहर कुमार कुपता
आ/६- स्टील गेट सरावटोला

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा- नेलाकुम्हा खाना नं०- 12
खाता नं०- 142 खेसरा नं०- 63 रकबा- 29 5/10 से संबंधित आपके नाम से
ह० नं०- 20 के पंजी- II भाग 22 के पृष्ठ 3741 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया
राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक- को समय-11:00 बजे पूर्वाह्न में उक्त
भूमि का रिटर्न-1, भूमि बंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी
रसीदों, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व
रसीदों निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त
भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित
होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ
नहीं कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यों के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए
दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति-युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जानें।



तिथि:-

मुहर

अंचल अधिकारी

स्थान:-

संदिग्ध / संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

4177

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :- शमश गुप्ता
 पति - मनोज कुमार गुप्ता
 सा.सं - रुही नगीर सरायदीना

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :-

मौजा	धाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
<u>कौलाकुशगा</u>	<u>12</u>	<u>142</u>	<u>63</u>	<u>28510</u>

3. जमाबंदी पंजी - II के जिल्द संख्या 20 पृष्ठ सं० 3741 पर कायम है-

4. जमाबंदी किस वर्ष से कायम है - 08-09

5. छतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :- गैर आबाद

6. किस सक्षम अधिकार / पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :- लगान धार्य / बन्दो वस्ती/ दा० खा० मु० सं०.....
M/c No - 1663 (1) 08-09 Room Thoka No - 2623

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :- खुर्शन मन्सु खंडल

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिर्बाधित सादा हुकुमनामा / लगान निर्धारण / अवैध भूबंदोबरती -
शुद्ध M/c No - 509 (1) 04-05 Room Thoka No - 766

9. संदेहास्पद जमाबंदी को जीव किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा
दाखिल रिटर्न / बन्दोवस्ती पंजी / लगान निर्धारण पंजी / भू - हस्तांतरण पंजी

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष -

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
<u>1</u>	<u>368896</u>	<u>9.9.08</u>	<u>08-09</u>
<u>2</u>	<u>2846381</u>	<u>10.9.10</u>	<u>10-11</u>